

आदेश की क्र०स० एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई की टिप्पणी सहित
1	2	3
१७/१२/२०१४	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन अंकित है कि “मौजा-रहेया में जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करने अंचल अमीन के साथ स्थलीय जांच किया। जांच में पाया कि गैरमजरूआ खास खाता सं० 45 प्लॉट सं०-289 रकबा 45 डी० पर जहागीर मियां पिता रसूल मियां के द्वारा जोत कोड़ किया जा रहा है। उनके द्वारा बंदोबस्ती पर्चा अनुमण्डल पदाधिकारी बन्दोबस्ती वाद सं० 140/2002-03 प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूमि का मांग पंजी II के पेज नं० 65/1 पर कायम है। रसीद 2012-13 तक निर्गत है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी अवैध प्रतित नहीं होता है। अतः उक्त जमाबंदी को को सदेहास्पद जमाबंदी से मुक्त किया जा सकता है।” अतः अंचल अमीन, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित किए गए जांच प्रतिवेदन एवं सुनवाई से प्राप्त तथ्यों के आधार पर संदेहास्पद जमाबंदी से मुक्त करते हुए वाद की कार्रवाई.....<u>फाया</u>.....की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। <u>फाया</u> अंचल अधिकारी, मनातू। <u>फाया</u> अंचल अधिकारी, मनातू।	

रैला में

अनल आधिकारी

मनाहू, पलाहू।

विषय :- अवैध जमावरी वार्ड सं० 101/2016-17 का
जॉन्च परीक्षण

लेखा/ह

महापाल,

3
22/12/20

उपरोक्त विषय के संबंध में कृपया है कि
मौजा रैला में जाकर राजस्व आगजात एवं नक्शा
के मिलान इले अनल आधिकारी के साथ स्थलीय जॉन्च
डिया। जॉन्च में पाया कि गैर खास खाना सं० 45
टलॉट सं० 289 करवा 45 डि० जहागीर मिला श्री -
बख्खल मिला के द्वारा जोर - कोड़ मिला जा रहा है।
इनके द्वारा वरीय पर्ची नकद पदम के वरीय वार्ड सं०
140/02-03 प्रस्तुत मिला गया है। इस प्रमाण का
मौजा पजी II के पृष्ठ सं० 657 प पट कागज है।
लेगाव वरीय 2012-13 तक निर्धार है। इस प्रकार
उक्त जमावरी अवैध परी नही होता है।
कारण उक्त जमावरी को अवैध जमावरी
के मुद्दा मिला जा सकता है।

अनल आधिकारी
मनाहू, पलाहू

22/12/20
181111

विष्णु राजन
चौरेन्द्र डीनिस
वार्ड 101
कृपा - III

अभिलेख संख्या-

101/16-15/12

वाद का प्रकार- विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कारवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के आपांक-2074/स0, दिनांक-13.05.2016 सहपत्र-श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-आ0न0ति-119/85/2308/स0, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-प्रति राजस्व विभागीय परिपत्र संख्या-914/स0, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजदूरा खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्राप्त की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अधिनियम 1950 के तहत जांच किया गया है कि निम्नांकित विवरणों की भूमि:-

मौजा-रुहता थाना-34/6 खता संख्या-15 प्लॉट संख्या-289 खता-12.45 एकड़ की भूमि जो गैरमजदूरा खास अताबाद विहार (झारखण्ड) सरकार के खतों की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-1 के जिल्द संख्या-65/4 पर जमाबंदी रयत के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरांत उपर्युक्त विवरणों की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिबद्धित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान विधारेण के आधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणों की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना बाधनीय प्रतीत होता है।

अतएव संबंधित जमाबंदी रयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/ निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पूछा करें कि क्यों नहीं सक्षम जमाबंदी की अवैध मानते हुए इसे विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक-15/9/06 को उपस्थापित करें।

लेखापित्र एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी

मनोर

अंचल अधिकारी, मनातू का कार्यालय
बाद अभिलेख संख्या 101 / 2016 (अन्तर्गत धारा 4(h), BLR Act, 1950)
नोटिस

बनाम जहांगीर शिपो 810 शयूल शिपो

रसीद नोटिस

एतद् नोटिस द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मैजा नोटिस रसीद थाना नं०.....
खाता नं०..... 45 खेसरा नं०..... 289 रकबा..... 0.145 से संबंधित आपके नाम से हो० नं०.....
पंजी भाग के पृष्ठ पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक
माध्यम से जॉचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त
रिटर्न 1 भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, फार्म
सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदों निर्गत परवाना एवं त
साक्ष्यों की मूल प्रति / सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पूष्टि करता हो, के साथ
अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं क
तथा उपलब्ध दस्तावेज / साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुंचते हुए दर्ज जमाबंदी के
में युक्ति युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जाएगी।

इसे सख्त ताकिद जाने।

तिथि :

मुहर

स्थान :

6/11/24
अंचल अधिकारी
अंचल अधिकारी
मनातू, पलामू

संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जांच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रयत का नाम :-

जिहंगीर मिश्रा, 3/4 मूल्म -
दि. 14. 11. 20 - नौसरी

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

मौजा	थाता सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
च० नौडीहा	346	45	289	0.45 क०
माम - रेहवा				

3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या पृष्ठ सं० 65 पर कायम है -

4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है - 2012-2013

5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के रयातेदार का नाम :-

6. किस संक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है -

7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रयत का नाम :-

8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अतिरिक्त सारा इकुमनामा/लगान निर्धारण/अविध-भूबंदीवस्ती - 14/01/2013)

9. संदेहास्पद जमाबंदी की जांच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दायित्व सिद्ध/बन्दोवस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी)

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
7	4968824	29/12	2012-2013 + 2012-13

Amor

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित 3
	उपरोक्त विषय पर विचार किया गया/प्रतिवादी- उपस्थित नहीं हुआ। अतः पुनः लिखित नोटिस निर्गमित करें तथा तत्पश्चात् को रखा। (अ-कमलेश्वरी अग्रज)	